महत्वपूर्ण एवं खास

घर के अलमारी से 80 हजार रुपये चोरी,नौकरानी पर संदेह, रिपोर्ट दर्ज

रायपुर (आरएनएस)। घर के अलारी में रखे नगदी रुपये को नौकरानी द्वारा चोरी कर लेने की रिपोर्ट कोतवाली थाने में दर्ज की गई है। मिली जानकारी के अनुसार सोनी मेटल सत्ती बाजार कोतवाली निवासी मनीष सोनी 38 वर्ष पिता रघुनाथ प्रसाद सोनी ने रिपोर्ट दर्ज करायी है कि प्रार्थी ब्राम्हण पारा सत्यनारायण मंदिर के पास रहता है तथा सोनी मेटल वर्क्स के नाम से सत्ती बाजार रायपुर दुकान है एवं उसी में लगा उसका घर है जहां पर करीबन 02 माह से एक नौकरानी जोया साहू 21 वर्ष के द्वारा झाडू पोछा का काम करती थी 13 अक्टूबर को लगभग दोपहर 2 बजे बिना बताये घर के अलमारी में रखे 80 हजार रुपये को चोरी कर लिया है। नौकरानी का आस-पास पता किया तो उसका पता नही चलने पर प्रार्थी ने घटना की रिपोर्ट थाने में दर्ज करायी है। घटना की रिपोर्ट पर पुलिस ने धारा 381 के तहत अपराध दर्ज कर मामले को जांच में जुटी है।

मतदान के लिए 11 प्रकार के पहचान पत्रों का उपयोग निर्वाचन आयोग ने जारी किया आदेश

रायपुर (आरएनएस)। कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रायपुर द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के जारी आदेश के तहत विधानसभा उप निर्वाचन(चित्रकोट)-2019 के मतदान दिवस पर मतदाता पहचान पत्र के फोटो वोटर स्लिप के स्थान पर ईपीक कार्ड के अलावा अन्य 11 प्रकार के वैकल्पिक पहचान पत्रों को मतदान के लिए मान्य किया गया। ईपीक के अलावा अन्य 11 वैकल्पिक पहचान पत्रों में पासपोर्ट, ड्राईविंग लाइसेन्स, राज्य-केन्द्र सरकार के लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फेटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंकों-डाकघरों द्वारा जारी की गई फेटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फेटो युक्त पेंशन दस्तावेज, सांसदों, विधायकों-विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और आधार कार्ड के आधार पर मतदाता मतदान कर सकते हैं।

हाथी प्रभावित गांवों के किसान कल घेरेंगे कलेक्टोरेट

» सिरपुर क्षेत्र में हाथी समस्या का स्थायी समाधान की मांग

महासमुंद (आरएनएस)। हाथियों के आतंक से परेशान सिरपुर क्षेत्र के 42 गांवों के किसान एकजुट हो रहे हैं। 2016 से अब तक हाथियों ने हजारों एकड़ की फसलों को बर्बाद कर अब तक 16 को मौत के घाट उतारा है। बीते 3-4 दिनों से सिरपुर क्षेत्र के गांवों में जनपद अध्यक्ष धरमदास महिलांग, जनपद सदस्य योगेश्वर चंद्राकर बैठक ले रहे हैं। बताया गया है कि 17 अक्टूबर को कलेक्टोरेट घेराव का आयोजन है। ग्रामीणजन सिरपुर क्षेत्र में हाथी समस्या का स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। मांगों में यह बात शामिल है कि फसल क्षतिपूर्ति की राशि 25 हजार प्रति एकड़ दी जाए, यह राशि 15 दिन के अंदर दी जाए, हाथी के हमले से मौत पर मृतक के परिवार को 10 लाख रुपये मुआवजा दिया जाए और परिवार के एक सदस्य को शासकीय सेवा में लिया जाए। हिंसक हो चुके हाथी को या तो वन विभाग मारे या इसे किसी निर्जन क्षेत्र में छोड़ें या बाड़े में बंद रखें। हाथी प्रभावित सिरपुर क्षेत्र के गांवों में 17 अक्टूबर को कलेक्टोरेट घेराव को लेकर जारी बैठक से हाथी भगाओ, फसल बचाओ समिति भी सक्रिय हो गई है। समिति के संयोजक राधेलाल सिन्हा ने बगैर किसी व्यक्ति, संगठन का नाम लिखे अपील की है कि ग्रामीणजन किसी राजनीति का शिकार न हों, गुमराह न हों, उनकी समिति हाथी भगाओ और फसल बचाओ ने कई आंदोलन किए हैं, कई लड़ाई लड़ी है, जिसका सकारात्मक परिणाम आया है और आगे भी आने वाला है। यह सब जानकर अब कुछ लोग सक्रिय हो रहे हैं और ग्रामीणों बरगला रहे हैं।

अवैध सिलोशन बेचने के जुर्म में तीन दुकानदार गिरफ्तार, लाखों रुपये सिलोशन जब्त

रायपुर (आरएनएस)। नशे के रुप में इस्तेमाल किया जा रहा सिलोशन बेचने के जुर्म में पुलिस ने अलग-अलग जगहों से तीन दुकानदारों को गिरफ्तार कर उसके पास से 17 हजार 2 सौ 85 नग ट्युब मेसोबान्ड एडहेसीव सिलोशन जप्त किया है। पकड़े गये सिलोशन का कीमत 3 लाख 32 हजार 2 सौ 45 रुपये आंकी गई है। मिली जानकारी के अनुसार मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने प्रेमलाल वर्मा,सेवक राम पंजवानी,कमलेश जैसिंघानी द्वारा मेक्सोबान्ड एडहेसीव सिलोशन रखे एवं बेचते पाये जाने पर पुलिस ने 17285 नग ट्युब मेक्सोबान्ड एडहेसीव सिलोशन जप्त कर आरोपीयो का यह कृत्य धारा 269,34 भादवि का अपराध का पाये जाने से गिरफ्तार कर जमानत मुचलका मे रिहा किये गये है।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार 15 अक्टूबर को शाम पुलिस ने कुकरी तालाब के पास वर्मा किराना दुकान गुढ़ियारी रायपुर में गोलबाजार निवासी कमलेश जैसिघानी के दुकान में प्रेमलाल वर्मा उम्र 56 वर्ष पिता स्व- प्रीतराम वर्मा कुकरी तालाब वर्मा किराना स्टोर गुढ़ियारी रायपुर व सेवक पंजवानी उम्र 48 साल पिता प्रताप राय पजंवानी निवासी विशाल नगर मकान नंबर -6 थाना तेलीबांधा रायपुर एवं कमलेश जैसिंघानी उम्र 28 साल पिता अशोक कुमार जैसिंघानी निवासी श्यामनगर महाराणा प्रताप गार्डन के सामने रायपुर थाना तेलीबांधा रायपुर के दुकान में छापामाकर पुलिस ने 15 अक्टूबर को वर्मा किराना दुकान में मेक्सोबान्ड एडहेसीव नामक (सिलोशन) नाबालिक बच्चो एवं वयस्को को जो नशा के रूप मे उपयोग इस्तेमाल करने वाला सिलोशन बेचते पाये जाने पर वर्मा किराना दुकान में रेड की कार्यवाही करने पर प्रेमलाल वर्मा के कब्जे मे मेक्सोबान्ड एडहेसीव का दो पुडा जिसमे से 01 पुडा पैक जिमे 25 नग ट्युब भरा हुआ तथा दुसरे पुडा खुला हुआ जिसमे 20 नग ट्युब जुमला 45 नग प्रत्येक ट्युब कीमत 945/रू एवं ब्रिकी रकम 150/रू के मिलने पर प्रेमलाल वर्मा पिता स्व प्रीतराम वर्मा उम्र 56 साल साकिन कुकरी तालाब गुढ़ियारी को गिरफ्तार कर मेक्सोबान्ड एडहेसीव ट्युब को शिवशंकर ट्रेडिग कंपनी तथा कमल स्टोर गोलबाजार रायपुर से क्रय कर प्रिंट रेट से अधिक मूल्य मे ब्रिकी करना ज्यादा मात्रा मे मांग आने पर सेवक पंजवानी शिवशंकर ट्रेडिग कंपनी एवं कमलेश जैसिघानी कमल स्टोर गोलबाजार के द्वारा ग्राहको को दिलाता है आरोपी के बताये जगह गोलबाजार सेवक पंजवानी के दुकान शिवशंकर ट्रेडर्स कंपनी पहुंचकर दुकान में रेड की कार्यवाही करने मेक्सोबान्ड एडहेसीव का 150 पुडा प्रत्येक पुडा जब्त कर पूछताछ करने पर सेवक पंजवानी के कब्जे मे पाये जाने से उपरोक्त् मेक्सोबान्ड क्रय विक्रय एवं रखने के संबंध मे कोई वैध दस्तावेज हो तो पेश करने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

संदिग्ध अवस्था में होटल के कमरे में मिले तीन युवक व तीन युवतियां, गिरफ्तार

रायपुर (आरएनएस)। खमतराई इलाके के होटल में पुलिस ने आधी रात को छापा मारकर संदिग्ध हालत में 6 युवक-युवती को गिरफ्तार किया है। स्थानीय रहवासी कई दिनों से होटल में कुछ गलत होने की सूचना पुलिस को दे रहे थे। इसके बाद पुलिस ने आधी रात को कार्रवाई की, जहां से संदिग्ध हालत में 6 युवक-युवती समेत होटल मैनेजर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए युवक-युवती बालोद, भिलाई, खड़गपुर और रायपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। सभी के खिलाफ पुलिस प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है। स्थानीय् वासियों ने काह कि श्रीजी पैलेस नामक होटल जो श्रीनगर खमतराई थाना खमतराई में है वहाँ कई दिनों से लड़के लड़कियों का आना-जाना होता था।

उरला सीएसपी अभिषेक माहेश्वरी ने बताया कि स्थानीय निवासियों ने डायल 112 में फ ोन पर शिकायत की थी कि उनके कॉलोनी में स्थित श्रीजी होटल में कुछ लड़के-लडकियां रुके हुए हैं और वहां पर गलत काम होने की शिकायत पर होटल में दबिश दी गई।

संदिग्ध अवस्था में तीन लडकियां और तीन लड़के मिले जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए लड़के भिलाई, बालोद व रायपुर का रहने वाले है। वही लड़कियों में एक भिलाई ,एक खड़गपुर और एक बालोद की रहने वाली है। वहीं पुलिस ने होटल मैनेजर को भी गिरफ्तार किया है। सभी के खिलाफ धारा 151 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है।

शिकार के लिए बिछाए करंट वाली तार के संपर्क में आया युवक, हुई मौत

» पुलिस ने मर्ग कायम कर हर पहलुओं पर कर रही जांच

महासमुंद (आरएनएस)। कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम लोहारडीह में जंगली सुअर के शिकार के लिए बिछाएं गए करंट प्रवाहित तार की चपेट में आने से एक युवक की मौत का मामला सामने आया है। ग्रामीणों का कहना है कि जंगल में शिकार के लिए करंट वाली तार को बिछाया गया था। इधर, पुलिस ने प्रथम दृष्टया मर्ग कायम कर जांच में लिया है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही मामले का खुलासा हो पाएगा।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सोमवार रात में आवारा मवेशियों को भगाने के लिए गांव के लोग जुटे हुए थे। इसमें परदेशी राम यादव पिता पुरुषोत्तम यादव (25) भी शामिल था। सभी मवेशियों को गांव से जंगल की ओर भगा रहे थे, तभी लोहारडीह से प्रेतीनचुआ के बीच परदेशी राम का पैर तार के संपर्क में आया और झटका लगते ही वह जमीन पर गिर गया। गांवों ने उसे देखकर उपचार के लिए आसपास चिकित्सालय में ले गए, लेकिन उसने दम तोड़ दिया था। मंगलवार सुबह चार से पांच ग्रामीण थाने आए और उक्त घटने की जानकारी पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस मामले की जांच के लिए गांव पहुंचे जहां देखा कि करंट वाले तार के टुकड़े जमीन पर पड़े हुए थे। शव का पीएम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। इधर, मामले की जांच शुरू हो गई है। पुलिस ग्रामीणों से पूछताछ कर रही है।

बस चालक व मालिक पर 5-5 हजार का लगा जुर्माना

महासमुंद (आरएनएस)। बिना ड्राइविंग लाइसेंस यात्री बस चलाने के मामले में न्यायालय ने चालक और मालिक को 5-5 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है। सोमवार को मोटर व्हीकल एक्ट के मामले को कोर्ट में पेश किया गया। जहां से प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अर्थदंड लगाया। यातायात पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार दो दिन पहले फिंगेश्वर मोड़ पर वाहनों की जांच जारी थी। इसी दौरान यात्री बसों की भी जांच की गई। एक बस चालक के दस्तावेज की जांच की गई तो पाया गया कि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं था। बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के वह यात्रियों की जान जोखिम में डालकर वाहन चला रहा था।

आवश्यकता है

CAREER SCHOOL

अंग्रेजी माध्यम (English Medium) में कक्षा 8 वीं, 9वीं एवं 10वीं के लिए

गणित एवं अंग्रेजी विषय हेतु अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों की आवश्यकता है।

वेतन योग्यतानुसार

मिलने का समय- सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक

अभ्यार्थी अपना संपूर्ण बायोडाटा के साथ उपस्थित होवें।

CAREER SCHOOL

श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, रायगढ़

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता

इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐश्वर्या श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी लकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जायेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जायेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जायेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जायेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जायेगी।

पीड़ित संपर्क करें

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, बच्चों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक तौर के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जायेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जायेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जायेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जायेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जायेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के कोने कोने पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायेगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address :: Behind Stadium Near Career School, Raigarh, C.G. Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

तत्काल आवश्यकता है

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र हेतु कम्पयूटर ऑपरेटर, सर्वे करने के लिए, बंडल कार्य हेतु, एवं रिपोर्टर/संवाददाता रायगढ़ एवं जशपुर जिले के लिए तत्काल चाहिए ... संपर्क करें...

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग.
मो. नं. 9039961090

ऑफसेट प्रिंटिंग - न्यूज पेपर प्रिंटिंग

वेस्ट जर्मनी की ऑफसेट मशीन *हेडलबर्ग* से 4 कलर की सभी तरह की प्रिंटिग होती है। प्रिंटिंग जॉब हेतु सम्पर्क करें....

न्यायसाक्षी प्रिंटर्स एण्ड प्रेस
श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग. मो. नं. 9589876400

न्यायसाक्षी समाचार- पत्र की

खरसिया, सारंगढ़, पुसौर, मनार, घरघोड़ा, धरमजयगढ़, पत्थलगांव लुड़ेग, कांसाबेल, कुनकुरी, जशपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में एजेंसी देना है, तत्काल संपर्क करें।

स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़, छ.ग.
संपर्क करें मो.नं. 9039961090